फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)

नाराण पिता नखरीया जाति कंजर निवासी खेरूणा

बनाम

जगदीश पिता वकीलीया जाति कंजर निवासी खेरूणा वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 276 /2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
12.03.21	प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्राथी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम खेरूणा पटवार हल्का टीटोडा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 916/15 रकबा 01.15 बीघा, आ.न. 964/5 रकबा 02.10 बीघा, आ.न. 965/8 रकबा 01.13 बीघा, आ.न. 966/31 रकबा 02.02 बीघा कुल 4 रकबा 08.00 बीघा स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद मे प्राथी का शपथ पत्र संलग्न है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्राथी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलगन नकल जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्राथी के एकल/संयुक्त स्वामित्व की है, पडोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिससे जाहिर होता है कि पत्थरगढी की जाने वाली भूमि प्राथी के स्वामित्व की है। अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.से. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम खेरूना पटवार हल्का टीटोडा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 916/15 रकबा 01.15 बीघा, आ.न. 964/5 रकबा 02.10 बीघा, आ.न. 965/8 रकबा 01.13 बीघा, आ.न. 966/31 रकबा 02.02 बीघा कुल 4 रकबा 08.00 बीघा की वशामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक खजूरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिशनर फीस 1000 रू. तय किये जाते है। जो प्राथी मौके पर अदा करेगा, उनमे से 100 रू. राजकोष मे जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे। आदेश आज दिनांक 12.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर(भीलवाडा)	

Scanned with CamScanner